फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– रामा **विपक्षी :– टीलाराम**

किस्म मुकदमा – विविध **पत्रावली संख्या : 17/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 14.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र धारा 114 आदेश 47 नियम 1 जा.दी. की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में वादी द्वारा धारा 114 आदेश 47 नियम 1 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में न्याय आपके द्वार कैम्प दिनांक 15.06.2016 को प्रार्थना पत्र सं. 102/15 टी.आई. को स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहने का आदेश पारित किया गया था। जिसके मूल वाद के प्रकरण सं. 254/15 होकर विचाराधीन हैं। प्रार्थी द्वारा टीलाराम के कब्जे काश्त अर्थात् 1/96 हिस्से में कोई दखलन्दाजी नहीं करने का कथन किया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने 95/96 वे हिस्से पर खेती करने का कथन किया हैं। प्रकरण सं. 102/15 निर्णय दिनांक 15.06.2016 में हिस्सों के बाबत् स्पष्टीकरण नहीं होने से मौके पर विवाद उत्पन्न हो रहा हैं। इसलिए पुर्नविलोकन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हिस्सों का स्पष्ट अंकन कर विपक्षी सं. 1 को प्रार्थी के 95/96 में दखलन्दाजी करने से रोका जाने का निवेदन किया हैं।

प्रकरण में जमाबन्दी के अनुसार रामा का नाम सम्पूर्ण भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज हैं जबकि अप्रार्थी टीलाराम द्वारा अपने अनवान में बताया की उसका इस सम्पूर्ण आराजी में 1/96 हिस्सा बनता है उसी हिस्से की घोषणा के लिए एडवर्स पजेशन के आधार पर अपनी हिस्सेदारी के अनुसार खातेदारी घोषणा का दावा किया हैं।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात रामा पिता पुरा डांगी के नाम दर्ज हैं। मूल वाद सं. 254/15 में वादी टीलाराम द्वारा अपना 1/96 हिस्सा घोषित कराने का वाद प्रस्तुत किया हैं। इस तरह प्रार्थी का 95/96 हिस्सा शेष बचता हैं। निर्णय दिनांक 15.06.16 में हिस्सों के बाबत् स्पष्ट अंकन नहीं होने से मौके पर शांति व्यवस्था भंग होकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए विवाद समाप्ति के लिए निर्णय को संशोधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 114 आदेश 47 नियम 1 जा.दी. व परिसीमा अधिनियम धारा 5 सपठित धारा 151 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तथा प्रकरण सं. 102/15 प्रार्थना पत्र में निर्णय दिनांक 15.06.2016 को इस आशय के साथ संशोधित किया जाता है कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 1489 से 1492, 1609 किता 5 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि में प्रार्थी रामा के 95/96 हिस्सा एवं विपक्षी टीला के 1/96 हिस्सा में उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखे, एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। हिस्से अनुसार कृषि कार्य करने पर रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। उक्त निर्णय की एक प्रति प्रकरण सं. 102/15 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न रहें।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.22 11:16:23 IST
Reason: SelfAttested